[illegible]

स्वास्थ्य [illegible] मंत्रालय

स्वास्थ्य [illegible]

[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1103

4 दिसम्बर, 2015 [illegible] प्रश्न [illegible]

[illegible]

1103. श्री भतृहरि महताबः

श्री[illegible]

श्री [illegible]

श्री पी॰आर॰ सुन्दरमः

[illegible]

[illegible] ‘[illegible]’:

श्री बी॰ सेनगुट्टुवनः

श्री संजय धोत्रेः

श्री हरि मांझीः

श्री[illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री धमन्द्र यादवः

श्री श्री[illegible]

श्री [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि देशभर म बेची जा रही साग-सब्जियां, फलों,मसालों, मांस, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों म अनुमत अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एमआरएल) से कहीं अधिक मात्रा म हानिकारक रसायन/कोटनाशक/ कृमिनाशी/विषाक्त तत्व पाए जा रहे ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है तथा विगत तीन वर्षों म प्रत्येक वष और चालू वष के दौरान खाद्य अपमिश्रण के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों को सूचना मिली, नमूनों का परीक्षण किया गया, निरीक्षण/छापामारी को गई, मामला दज किया गया, संबंधित खाद्य को मानव उपयोग के अनुकूल नहीं पाया गया तथा दोषसिद्धि को गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध म कोई अध्ययन/अनुसंधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कष क्या ह और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह; और

(घ) देश भर म ऐसे खाद्य पदार्थों म एमआरएल को विद्यमानता अनुमत सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क): कुछ खाद्यपदार्थों म हानिकारक रसायनों,कोटनाशकों,कृमिनाशकों,विषाक्त तत्वों को अधिक मौजूदगी से संबंधी मीडिया म आ रही रिपोर्टों से सरकार अवगत है।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर,वष 2012-13,2013-14 और 2014-15 के दौरान एकत्रित किए गए, परीक्षण किए गए खाद्य नमूनों,अपमिश्रण/ गलत ब्रांड पाए गए नमूनों और उन पर को गई कारवाई का विवरण क्रमश: अनुबंधI,II और IIIम दिया गया है।

(ग): खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 और उसके तहत विनियमों को लागू करने का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर होता है और तदनुसार,राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा खाद्य उत्पादों को नियमित चौकसी,निगरानी को जाती है और नमूना एकत्रीकरण किया जाता है।

(घ): खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के एक कायकारी समूह द्वारा सांस्कृतिक/त्योहारों के अवसरों के लिए खपत पैटन सहित विभिन्न मापदंडों को ध्यान म रखते हुए राज्यों के लिए एक सर्विलांस योजना तैयार को गई है। राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसम संशोधन करने और खाद्य अपमिश्रण के निवारण के लिए तदनुसार कारवाई करने को छूट होती है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से खाद्य पदार्थों म कोटनाशकों के उपयोग को रोकने के लिए प्रमुख फल एवं सब्जी बाजारों,सॉफ्ट ड्रिंक्स और तैयार पेय पदार्थों आवधिक निरीक्षण और निगरानी करने का अनुरोध किया है।

.....

□□ 2012-13 के लिए राज्यों/□□ □□ज्□ क्षेत्रों म वार्षिक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोट					
क्र.□□	□□ज्□/□□ □□ज्□ क्षेत्र □□ □□□	□□□□□□ □□□ों की संख्या	□□□□□□श्□ □□ □□□ ब्□□ □□□□□□□ □□ □□□□	□□□□ f□□ □□ □□□□□□□/□□□□□ □□□□ों □ी □ख्□□	□□□□□□द्धि/□□ □ी □ख्□□
1	आंध्र प्रदेश	1511	429	286	रु. 55,000
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	133	16	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	198	11	11	2/रु. 3,100
4	असम	306	58	31	16/रु. 2,45,000
5	बिहार	1407	371	249	0
6	चंडीगढ़	183	16	7	0
7	छततीसगढ़	353	142	111	45/ रु.11,84,000
	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	0
9	दमण और दीव (गुजरात)	44	4	-	2
10	दिल्ली	1383	145	50	62
11	गोवा	610	31	14	1/रु.20,000
12	गुजरात	11047	881	46	7/रु. 97,500
13	हरियाणा	1562	255	131	0
14	हिमाचल प्रदेश	274	44	53	24
15	जम्मू और कश्मीर	2224	610	488	288/रु.28,52,050
16	झारखंड	-	-	-	0
17	कनाटक	3118	172	29	85
18	केरल	12	3	0	रु. 1,63,280
19	लक्ष्यदीप	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	8101	2043	1183	844
21	महाराष्ट्र	7800	757	114	228/रु.82,99,485
22	मणिपुर	165	2	-	0
23	मेघालय	14	1	-	-
24	मिजोरम	-	-	-	-
25	नगालड	अनुपलब्ध	0	0	0
26	ओडिशा	1871	418	0	0
27	पुदुच्चेरी	-	-	-	-
28	पंजाब	4782	553	304	92
29	राजस्थान	10236	186	-	295
30	सिक्किम	-	-		-
31	तमिलनाडु	474	78	48	2
32	त्रिपुरा	-	-	-	-
33	उत्तर प्रदेश	11086	2927	2551	1010/रु.3,70,96,600
34	उत्तराखंड	964	186	134	55/रु.22,44,001
35	पश्चिम बंगाल	91	41	-	-
	□□	69949	10380	5840	3175/ रु.5,24,95,016

स्रोत – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वार्षिक सरकारी प्रयोगशाला परीक्षण रिपोट (2013-2014)								
क्र.□□	□□ज्□/□□ □□ज्□ क्षेत्र □□ □□□	□□□ □□ नमूनों को □□	□□□□□ □□□ों □ि □श्□□	□□□□□श्ेि □□ □□□ ब्□□ □□□□□□ □□ □□□ों □ि □श्□□	□□□□ ि□□ □□ □□□□□		□□□□□□द्दे/दंड को संख्या	
					□□□□- □□□	□□□□ □	□□□□□□द्दे	□□/□□□□त्रे □□□□□□ रु. □
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1		शून्य	शून्य	शून्य	18/ रु.14,500
2.	आंध्र प्रदेश	4038	4038	716	417	200		रु.39,94,385
3.	अरूणाचल प्रदेश	213	213	9	1	8		9/Rs. 6,33,000
4.	असम	435	435	53	26		शून्य	शून्य
5.	बिहार	1189	1103	121	19	71	शून्य	14/रु.2,26,000
6.	चंडीगढ़	146	146	9	5	6	शून्य	3
7.	छत्तीसगढ़	294	294	112		56	शून्य	7/ रु.3,49,000
8.	दादरा और नगर हवेली	6	6	3	शून्य	3	3/ रु.35,000	शून्य
9.	दमण और द्वीव	40	40	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	1187	1187	118		69	अनुपलब्ध	रु.15,73,000
11.	गोवा	704	696	37	6	7	2	रु. 27,000
12.	गुजरात	11111	10495	900	56	341	16	12/ रु. 1,90,000
13.	हरियाणा	2101	2101	293	37	223	37	129/ रु. 26,61,800
14.	हिमाचल प्रदेश	236	157	129	1	22	0	7/ रु. 7,00,000
15.	जम्मू और कश्मीर	3109	2851	682	15	526	353	रु. 2,76,600
16.	झारखंड	1075	725	144	99		8	रु. 22,07,000
17.	कनाटक	2224	2153	133	59		3	72
18.	केरल	682	664	138	104	0	0	810/ रु.55,35,000
19.	लक्ष्यदीप							
20.	मध्य प्रदेश	4743	4599	1433	233	603	3	133/ रु.29,32,000
21.	महाराष्ट्र	7677	7516	1523	1172	1385	49	17/रु. 41,76,500
22.	मणिपुर							
23.	मेघालय	17	14	7		6		
24.	मिजोरम	नो लैब						
25.	नगालड	66	66	21	0	0	0	0
26.	ओडिशा							
27.	पुदुच्चेरी	4741	4741	319				
28.	पंजाब	6227	5884	771	203		3	77
29.	राजस्थान	6375	6375	1160		436		112/ रु. 15,50,000
30.	सिक्किम							
31.	तमिलनाडु	707	658	261	8	40	16	रु.6,59,800
32.	त्रिपुरा							
33.	उत्तर प्रदेश	11579	13554	4275	2930		409	1510/ रु. 4,47,84,400
34.	उत्तराखंड	1503	851	169	5	117		रु.5,06,489
35.	पश्चिम बंगाल							
	□□	72,994	72,200	13,571	3105	7130	913	2932/ रु. 7,29,89,474

स्रोत :- राज्य/संघ राज्य सरकार

वार्षिक सरकारी प्रयोगशाला परीक्षण रिपोट (2014-2015)								
क्र.□□	□□ज्य/□□ □□ज्य क्षेत्र □□ □□□	□□□ □□ नमूनों की □□	□□□□□□ □□□ों □ी □ख्□□	□□□□□श्रि□ □□ □□□ ब्□□ □□□□ □□□ □□ □□□ों की संख्या	□□□□ कि□ □□		दोषसिद्धि दंड की संख्या	
					□□□□-□□□	□□□□-□□□	□□□□□□द्ध	□□/□□□□त्रे□ □□□□□□ रु. □
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17	16	4	0	0	0	14/ रु. 4,55,000
2.	आंध्र प्रदेश	2788	2788	290	338	78	0	रु. 51,63,020
3.	अरूणाचल प्रदेश	292	258	29	2	14		7
4.	असम	595	595	74	28	32	8	रु. 70,000
5.	बिहार	1763	1320	7		16		5/ रु. 38,000
6.	चंडीगढ़	102	102	5	5			रु. 1,50,000
7.	छत्तीसगढ़	133	133	27	14	41		16
8.	दादरा और नगर हवेली	9	2	गुजरात राज्य प्रयोगशाला द्वारा जांचे गए नमूने				
9.	दमण और द्वीव	65	65	3		3		3/रु. 30,000
10.	दिल्ली		1480	148				
11.	गोवा	798	800	81	1	4	4(12)	रु. 4,35,000
12.	गुजरात	11981	11700	1243	37	465	30	178/रु. 56,13,500
13.	हरियाणा*	989	989	105	08	114	6	रु. 1,500
14.	हिमाचल प्रदेश	796	725	461	34	42	18	रु. 8,88,500
15.	जम्मू और कश्मीर	2592	2462	621	17	401	243	रु. 19,76,600
16.	झारखंड	716	509	112	41	24		
17.	कनाटक	2154	2110	311	56			42
18.	केरल	3085	2735	464	41	161	0	280/ रु. 72,39,700
19.	लक्षदीप							
20.	मध्य प्रदेश	9532	9131	1412	127	716	418	418/ रु. 43,28,000
21.	महाराष्ट्र	8663	6985	1162	869	1426	75	रु. 1,65,41,499
22.	मणिपुर							
23.	मेघालय	47	34	4	0	4	2	1/ रु. 10,000
24.	मिजोरम							
25.	नगालड	83	83	11	0	0	0	0
26.	ओडिशा	544	544	112	0	1		1
27.	पुदुच्चेरी	1946	1946	39	0	0	0	0
28.	पंजाब	8053	7860	1458	846		82	
29.	राजस्थान *	3132	3031	747	158	222	116	रु. 8,45,500
30.	सिक्किम							
31.	तमिलनाडु	2939	2873	1047	64	486	203	Rs.34,99,700
32.	तेलंगाना	363	312	32	4	24	11	10/ रु. 17,57,100
33.	त्रिपुरा	933	933	2	0	0	0	0
34.	उत्तर प्रदेश	14173	9605	4119	161	3489	186	1738/रु. 5,98,08,106
35.	उत्तराखंड	1971	1356	233	5	117	0	80/रु. 5,06,489
36.	पश्चिम बंगाल	120	120	65	0	17	0	1/रु. 30,000
	□□:	83265	74010	14599	2676	7860	1402	2795/ रु. 10,93,87,214

स्रोत:- राज्य/संघ राज्य सरकार

टिप्पणी: वार्षिक रिपोट नहीं मिली,उसके लिए आंकड़ों को अधवार्षिक रिपोर्टों के आधार पर संकलित किया गया है।

****